न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: स्वाति (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 138 / 2023

सरकार बनाम सुनिता पत्नी राकेश, सुबेसिंह पुत्र भींवाराम, जाति–जाट, निवासी– कुलोठ खुर्द।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 04.07.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान सुनिता पत्नी राकेश, सुबेसिंह पुत्र भींवाराम, जाति–जाट, निवासी– कुलोठ खुर्द द्वारा रोही मौजा कुलोठ खुर्द की राजकीय भूमि ख.नं. 97 के कुल रकबा 0.98 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.03 है0 भूमि पर पक्के मकान, चार दीवारी बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायला सुनिता की ओर से एडवोकेट सोमवीर सिंह का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब हेतु अवसर चाहा गया। लेकिन अवसर देने उपरान्त भी कोई जवाब पेश नही किया गया। अतः गैर सायला सुनिता के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। गैर सायल सुबेसिंह ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें उसने अपना पुराना कब्जा बताया। अपने कब्जे के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किये। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)
तहसीलदार, सूरजगढ़

23-24 09/-